

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

क्रमांक

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त-ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम श्री गीता शशि सिंह

पिता/पति का नाम श्री प्रणोद प्रताप सिंह

पता ग्रा. २५० पद्मपुर मंदिर मकान सुमेरु

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

जिला - हमीरपुर

(१) वोल्टता

५०० / ५५० वोल्ट

(२) कलाओं (फेजों) की संख्या

३ फेज

(३) ए.सी./डी.सी.

ए.सी.

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (बैटन कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियाँ

पी.के.सी. बेट वायरिंग

२००/२३० वोल्टर्स		४००/४४० वोल्टर्स				उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज १		फेज २		फेज ३			
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता

१

(१) बत्तियों के प्वाइंट

(२) पंखों के प्वाइंट

(३) मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

१० HP.

1

योग-

योग- १० HP.

२-अन्य उपस्कार (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

१-

२-

कुल संयोजित भार किलोवाट में-
अधिकतम करंट मांग एम्पियर में
कुल संयोजित भार के आधार पर

(२)

विद्युत (रिसाव विद्युत रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जाये)

ठेकेदार द्वारा विद्युत रोधी के परीक्षण का परिणाम-

(१) फेज एवं अर्थ के बीच	<u>फेज-१ व अर्थ</u> ००	<u>फेज-२ व अर्थ</u> ००	<u>फेज-३ व अर्थ</u> ००
(२) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच	<u>फेज-१ व २</u>	<u>फेज-२ व ३</u>	<u>फेज-३ व १</u>
(३) तारों के मध्य-			

नियम २६-

- (१) बताये कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहित के अनुसार है
- (२) बताये कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विची द्वारा नियंत्रित है।
- (३) बताये कि समस्त स्विच विद्युत मान्य (जीवान्त) चालकों पर लगाये गये है।

नियम ३२-

बताये कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति सूचक लगाया है जिससे कि ऐसे चालक की विद्युतमय (जीवान्त चालक) से सुभिन्न किया जा सके।

सत्यापन प्रमाण-पत्र

मै/हम...विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेन्स संख्या...६५३०५..... निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते है।

- (अ) कि पूर्णोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्णोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत रोधी परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है। एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये है।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, १९५६ एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाप द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम...विद्युत ठेकेदार.....परमिट सं० १५५२६.....वैधता की तिथि...१५-५-०२६...

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम...विद्युत ठेकेदार.....प्रमाण पत्र सं० ५७५००.....वैधता की तिथि...५-६-२५...

विद्युत ठेकेदार
हस्ताक्षर

(३)


अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर.....
.....

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम

लाइसेन्स संख्या. C.F. 1304.....

लाइसेन्स श्रेणी A Class.....

वैद्यता का दिनांक 31-3-2025.....


ठेकेदार के हस्ताक्षर

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, १९५६ के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता.....
.....एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक.....

शशि सिंह
उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परिक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

(१) फेंज एवं अर्थ के बीच फेंज-१ व अर्थ फेंज-२ व अर्थ फेंज-३ व अर्थ

(२) तार के बीच फेंज-१ व २ फेंज-२ व २ फेंज-३ व १

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एक कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

१-

२-

३-

४-

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम

